


:- आदेश :-


राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से वर्ष 2008 में चयनित एवं राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 2008 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्तियों प्रदान की गई है, नवनियुक्त चिकित्सकों को पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु मुख्य चुनाव अधिकारी की आई0डी0 संख्या जेटी/सीईओ/162 दिनांक 18/03/09 के अनुसरण में शिथिलता प्रदान की जाती है।

नियुक्ति आदेशों में अंकित शर्तें यथावत रहेंगी।


निदेशक(जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
- 2) निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 3) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान जयपुर।
- 4) संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन संबंधित।
- 5) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके अधीन जिन नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारी/ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी का पदस्थापन किया गया है उन्हें तुरंत कार्यग्रहण करवा कर कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलंब निदेशालय को भिजवाने का श्रम करें।
- 6) संबंधित चिकित्सक को उनके निवास के पते पर भेजकर लेख है कि वे तुरंत नवनियुक्ति/पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें।
- 7) आदेश/निजि पत्रावली।


निदेशक(जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर